

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/ 2024**

IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

NDOH: 02.04.2025

LDOH: 29.01.2025

S.No.	Particulars	Pg.No
1.	Affidavit in reply on Behalf of Impleaded Respondent No.9 Abhishek Tyagi	1-5
2.	Annexure P-1 order dated 17.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal Court in Original Application No. 1350/2024	6-8
3.	Annexure P-2 A copy of the letter submitted to the chief district officer of Horticulture dated 21.09.2024	9
4.	Annexure P-3 inspection report prepared by the incharge officer dated 29.09.2024 along with the sketch of land	10-11
5.	Annexure P-4 order passed by the Chief Horticulture Officer Haridwar dated 10.10.2024	12-13
6.	Annexure P-5 copy of receipt of Rs. 25,000/- fine Paid by the Respondent	14
7.	Annexure P-6 Permit issued by the office of the divisional forest officer, Haridwar forest division issued on 20.12.2024	15
8.	Annexure P-7 Complaint to the Police station Incharge Bahadrabad dated 20.01.2025	16
9.	Annexure P-8 letter dated 20.01.2025 submitted to the Divisional forest officer, Haridwar	17

Through

252

*Ayush
Kaushik*

Ayush Kaushik & Lakshya Raj Singh
Advocates For Respondent No.9
Email.chambersofakaushik@gmail.com
Mobile No.9711503033
Office- F35 Second Floor East of Kailash,
New Delhi-110065

PLACE: DELHI
DATE: 28.03.2025

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/ 2024**

IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.

...RESPONDENT(S)


REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.9 ABHISHEK TYAGI

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Abhishek Tyagi S/o Shri Satish Tyagi aged about ___ Years, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar Jwalapur, Tehsil and District Haridwar-249407, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. A letter Petition was filed by Mr. Naresh Kumar on 19.10.2024 before this Hon'ble Tribunal alleging the unauthorized felling of 200 trees on agricultural land owned by the Respondent No. 9. This Hon'ble Tribunal passed an order dated 17.12.2024 directing the Respondents to file their response. A copy of the order dated 17.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal Court in Original Application No. 1350/2024 is annexed herein as


Annexure P1.



2. At the outset, it is respectfully submitted that the answering respondent denies the allegations made by the Applicant in the present Application. It is submitted that the agriculture land in question is located at Khasra No. 325/2 situated at Bahadrabad, Tehsil and District Haridwar, belonging to the answering respondent wherein, a total of 68 trees were present.

Khasra	No. of Trees	Type of Trees
325/2	60	Mango
325/2	08	Semal

3. It is hereby informed that the Respondent sought permission from the Chief District Officer of Horticulture, Haridwar, on 21.09.2024, for felling of 60 mango trees on his land as the trees were old and yielded minimal fruit. A copy of letter dated 21.09.2024 seeking permission from the Chief District Officer of Horticulture department is annexed herein as **Annexure P2**.
4. Subsequently, an inspection and survey were conducted by the officer in charge on the Respondent's land and a detailed report dated 29.09.2024 was prepared. The report confirmed that the Respondent's land (Khasra No. 325/2) contained a total of 60 mango trees. Further, on 10.10.2024, the office of the Chief Horticulture Officer, Haridwar, issued Permit No. /2024-2025, granting permission to cut down 55 out of the total 60 mango trees.



A copy of the inspection report prepared by the in charge officer dated 29.09.2024 along with the sketch of land is attached herein and annexed as **Annexure P3**.

A copy of the order passed by the Chief Horticulture Officer Haridwar dated 10.10.2024 along with the details of the land is attached herein and annexed as **Annexure P4**.

5. It is informed that during the process of cutting down the 55 mango trees, 5 trees were also damaged by the inadvertent error of the contractor. The Respondent duly informed the Horticulture Department of this incident and as a result, a fine of Rs. 25,000 (Rupees Twenty-Five Thousand) was imposed on the Respondent i.e. Rs. 5,000 per tree. A copy of receipt of Rs. 25,000/- fine is annexed herein as **Annexure 5**.
6. Furthermore, the Respondent sent letter dated 18.10.2024 to the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division, seeking permission to cut down 7 Semal trees (Silk Cotton Trees or Bombax Ceiba) out of 8 semal on his land. In response, the office of the Divisional Forest Officer, Haridwar, issued letter No. 3115/23-3, granting permission to cut the 5 Semal trees.

A copy of the Permit issued by the office of the divisional forest officer, Haridwar forest division issued on 20.12.2024 is annexed herein as **Annexure P6**.




7. It is further informed that all 8 trees of semal were cut by the contractor due to an inadvertent error, for which the Respondent immediately filed the complaint to the nearest Police station on 24.12.2024.

A copy of the complaint to the Police station is annexed herein as **Annexure P7**.

8. The allegations in the letter petition against the Respondent are baseless as it mentions cutting down of 2000 trees from land situated at Khasra no. 286,316,317,318,319,30 and 321. However, it is informed that these khasna numbers does not belong to the answering respondent.

9. It is informed that the Respondent sought due permission from the authorities for cutting down of trees and everything has been done in accordance with law, which can also be substantiated by the Joint Report submitted by Respondent No.4/SDM before this Hon'ble Tribunal.

10. The Respondent wrote a letter dated 20.01.2025 to the Divisional Forest office, Haridwar showing his bonafide to plant 200 trees at his own expense. A copy of the letter dated 20.01.2025 submitted to the Divisional Forest officer, Haridwar is annexed herein as **Annexure P8**.



11. That the answering respondent is a law-abiding citizen with the highest regard for the orders of this Hon'ble Tribunal. In the view of the above submission, it is prayed that the present case may be disposed of.

12. In the view of the present response affidavit and its contents, the answering respondent states that the fact stated herein are true and correct, and that no material information has been concealed therefrom.

Abhishek Tyagi
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Haridwar on this 28th day of March, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing has been concealed

28 MAR 2025

Abhishek Tyagi
DEPONENT



ATTESTED
[Signature]
NOTARY PUBLIC

[Signature]
IDENTIFIED



Item No. 02

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.1350/2024

Naresh Kumar

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 17.12.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the Applicant.

ORDER

1. Bharat Mata Abhinandan Sangathan, Bahadrad, Tehsil and District, Haridwar, Uttarakhand has sent letter petition dated 19.10.2024 to this Tribunal which, under the orders of Hon'ble Chairperson, has been treated and registered as original application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.

2. The Applicant has submitted that builders-Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi in collusion with Sahara India Ltd./Chirayu Estate converted agricultural land measuring 600 bigha for colonization. Above said persons had spread chemical on 200 mangoes and other trees standing in land measuring 150 bighas and cut the trees for colonization of the above said land. Complaint was made to the Chief Secretary, D.G.P., PCCF, CCF, Government of Uttarakhand and Chief Horticulture Officer and SSP, Haridwar but no action has been taken on the same. Above said persons spread chemical on 2000 trees on 29.09.2024 and illegally cut 200 trees on 11.10.2024 at about 10 P.M. and are preparing

to cut remaining trees. Persons who complained about illegal cutting of trees were illegally arrested by the police.

3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, (vii) Chirayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand; (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.

5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one week before the next date of hearing fixed.

6. Notices be served on respondents no. 6 to 9- Sahara India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi through the District Magistrate, Haridwar and for this purpose notices issued to respondents no. 6 to 9- Sahara India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi be sent to the District Magistrate, Haridwar by E-mail for taking print out and getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within 15 days.

7. List for further consideration on 29.01.2025.
8. A copy of this order be also sent to the District Magistrate, Haridwar by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 17, 2024
Original Application No.1350/2024
JG.

सेवा में,

श्री मान मुख्य जिला अ्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी खाता खतौनी नम्बर-307, खसरा
नम्बर- 325/2, रकबई- 1.009 है। स्थित मौजा- बहादुराबाद, परगना
ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का मालिक एवं स्वामी है। श्री मान
जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति में 60 पैड आम के खड़े हुए हैं जो कि बहुत
ही पुराने हैं और अधिक पुराने होने के कारण फसल नहीं देते हैं और रोग
से भी पीड़ित होने लगे हैं जिनका दोबारा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता
है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त 60 पैड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई
किस्म के अच्छे पैड लगाना चाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की
अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय
है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को
मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 60 पैड आम के कटवाने व उनके
स्थान पर नई किस्म के अच्छे पैड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा
करे, आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 21/09/2024

प्रार्थी

Abhishek Tyagi
(अभिषेक त्यागी)

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी

निवासी- निकट सौन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार
आर्य नगर ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

21/09/2024

— सतीश —

मान जी
30/09/24

निजी फल वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारम्भ
 आवेदक का नाम- डॉ. जे. के. ए. ए. ए. ए. ए. mNo - 9719760801
 पिता का नाम- श्री. सतीश ए. ए. ए.
 पता नो. नं. सहित- नैफ्त-सोडी नर्सिंग होम, म्यूर विहार आपनगर ज्वालापुर
 आवेदक के आवेदन पत्र के अनुसार बाग में कुल वृक्षों की संख्या- 60
 आवेदक द्वारा पातन हेतु आवेदित वृक्षों की संख्या- 60
 सम्बंधित क्षेत्र के साफधर/थाने का नाम- बहादुराबाद
 पातन हेतु आवेदक द्वारा नामित टेकेदार का नाम व पता- जसोम शं. शं. अजीज, पिरान कालिपर महमूदपुर

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम- पवन चौधन - निरीक्षक
 कार्यालय का नाम व पता- उद्यान सचल दल केन्द्र - बहादुराबाद
 1-प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है। हाँ/नहीं
 2-प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया गया हाँ/नहीं
 3-प्रशंगत मूल्यांकन खतरा संख्या 325/2 में आम के 60 वृक्ष खड़े हैं तथा आवेदित 60 वृक्षों को शापेक्ष आम के 55 वृक्ष पातन योग्य पाये गये हैं।
 4-प्रशंगत वृक्षों के पातन किये जाने का ठोस कारण वृक्ष की मृत्यु प्रकृतिक कारणों से
पुराने होने के कारण फल देना कम होता है वृक्षों के डालों में कवक के कारण वृक्षों की मृत्यु हो रही है कवक के कारण वृक्षों की मृत्यु हो रही है वृक्षों की मृत्यु हो रही है वृक्षों की मृत्यु हो रही है
 5-पातन हेतु योग्य वृक्षों की उम्र लगभग 80 वर्ष
 6-प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये हैं यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण नहीं

7-पातन योग्य वृक्षों के मौकों पर प्रार्थी के साथ निरीक्षणकर्ता का जियो टेग लोकेशन के साथ फोटो संलग्न हाँ/नहीं
 8-पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टेग का फोटो प्रस्तुत कर दिया जायेगा हाँ/नहीं
 9-आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की मती भौति जाँच कर ली गई है। हाँ/नहीं
 10- उद्यान का नक्सा नजरिया संलग्न हाँ/नहीं

11- पातन योग्य वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	पातन हेतु संस्तुत किये गये वृक्षों का विवरण										अव्यक्ति
	प्रजाति	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से अधिक	कुल योग	
01	खैर	-	-	-	-	-	9	9	37	55	
02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग							9	9	37	55	


12-निरीक्षण के समय बाग स्वामी/साक्षी का विवरण:- निरीक्षणकर्ता के
 हस्ताक्षर [Signature]
 1-नाम- डॉ. जे. के. ए. ए. ए. ए. हस्ताक्षर [Signature]
 2-पिता का नाम- श्री. सतीश ए. ए. ए. नाम- प्रभारी
 3-पता- नैफ्त-सोडी नर्सिंग होम म्यूर विहार आपनगर ज्वालापुर पदनाम- उ.स.दे.के.के.के.
 4-मो.नं. 9719760801 कार्यालय- प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र

पत्रांक 46 /पातन/जाँच दिनांक हरिद्वार 05 Oct 2024
 प्रतिलिपि-मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय की सेवा में निरीक्षण आदेश संख्या 1833 दिनांक 29/9/24
 के क्रम में आवेदक को मूल वस्तावेज सहित निरीक्षण आख्या की मूल प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 संलग्न- ह
 नाम- [Signature]
 पदनाम- प्रभारी
 कार्यालय का पता- उ.स.दे.के.के.के. बहादुराबाद

पातन नई
 05/10/24
 21/11/24

पूरुब दिशा मे क्या की चारि

उत्तर दिशा मे क्या की चारि



पूरुब दिशा मे क्या की चारि

पूरुब दिशा मे क्या की चारि

नाम :- आशुतोष चण्डे १० सतीश चण्डे

पता :- विन्हाट सांन्धी नासरी धोम

मयूर विहार, काभ नगर, काभ नगर

कुल आम पत्र = 60

कुल आम पत्र = 55

Signature
प्रभारी

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 027/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1978 यथावृत्त की धारा-3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिक्रमों के अधीन निर्गत की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्मनगर ज्वालामपुर, तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वामी को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की स्वामित्वगत भूमि में स्थित बाग में रखे हैं।

4-ये पेड़ पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/गुल्यवान प्रकार के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है। आम वृक्ष आंशिक तुफान के कारण भवन पर गिरकर जानमाल व सम्पत्ति को नुकसान होगा।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद/फु0उ0अधिकारी मुख्यालय हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 20 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं किसी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जाती है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादुराबाद	बहादुराबाद	325/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण व्यास(फुट) में							योग	
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7		7 से ऊपर
श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्मनगर ज्वालामपुरी, हरिद्वार	325/2	55 आम वृक्ष वीजू	00	00	00	00	00	09	09	37	55
			00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग-			00	00	00	00	00	09	09	37	55

8-प्रार्थी ने 250/-प्रति पेड़ की दर से कुल ₹0 250.00 के सापेक्ष ₹0 13750.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि ₹0,13750.00 इंडियन बैंक सं0 7884323424 दिनांक 08.10.2024 से जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात फीधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

20/2
मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 2526/उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के क्रम में इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नहीं किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0ओ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।
- 4- उपजिलाधिकारी लखसर/हरिद्वार/रुडकी
- 5- प्रभारी वनाधिकारी,हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की विज्ञप्ति संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुरितका के साथ पठित 3-6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवगुप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा 30 आम वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 60 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 55 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड़ के एवज में नये पेड़ लगाने हेतु रू० 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 55 वृक्ष की धनराशि रू० 13750.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।


मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 19-3/पातन-जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार 08/10/2024।

प्रतिलिपि:- 1-श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-डाकपाल, डाकघर, बहादुराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3-शाखा प्रवन्धक, बहादुराबाद को सूचनार्थ।


मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

डी0-2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड
कैश रसीद बुक

संख्या

रसीद संख्या

184379

दिनांक

23/10/2024

10

में)

फार्मिक व शाही फुल शी शरीर जल व पावानी
में प्राप्त हुई।

से रु०

मूल्य विद्यार जवालापुर

बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य	धनराशि		प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
		दर	रु०	पै०	
0 फार्म वृक्ष	5	5000/-	25000/-		
योग रु० (42200/- इ.के. म.ग.)		25000/-	25000/-		

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी / कार्यालयाध्यक्ष

प्रप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्रभारी के हस्ताक्षर सहित।

उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादुराबाद (हरिद्वार)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01394 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com
पत्रांक : 3115 /23-3, हरिद्वार दिनांक : 20/12/2024

पातन अनुज्ञा

श्री अभिवेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी-गयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनके पिताजी नाम भूमि के खसरा सं0 325 में स्थित बहादुराबाद जिला हरिद्वार में खडे रोमल(हरे खडे) प्रजाति के कुल 07 वृक्षों के पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक-228/23-3, दिनांक 18.10.2024 की रिपोर्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 355/23-3, दिनांक 18.12.2024 से 05 वृक्षों की छपान रिपोर्ट मय एन0एसओसी0/एफ0डी0आर0(सं0 7835440542) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं पौध उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, (उत्तराखण्ड में यथा-प्रवृत्त) की धारा-5 में प्रवृत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	कुल संख्या	अभ्युक्ति
01	रोमल(हरे खडे)	7-8-01 9 -03 8-9-01	05	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जांच आख्यानसार उक्त वृक्ष फसल को क्षति पहुंचा रहे है।

- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है -
- पत्र जारी होने के बाद 07 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त 07 दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
- उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपनां समुपयोज्य व्यास प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
- पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अधिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाश्ट की निकासी हेतु सम्यन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिह्नित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्यन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्यन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
- पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
- यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
- आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्यन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
- शर्तों का उल्लंघन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाश्ट को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक : 3115 / (1) तद्विनाकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
- उप जिल्हाधिकारी, हरिद्वार।
- वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
- सम्यन्धित थाना प्रभारी।
- श्री अभिवेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी-गयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

सेवा में,

268

ANNEXURE P-7

(16)

थानाध्यक्ष बहादुराबाद

हरिद्वार।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की जमीन खसरा संख्या 325/2 पर 03 सेमल वृक्ष खड़े थे। संबन्धित नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम महमूदपुर पिरयान कलियर द्वारा मुझे बिना बताये वृक्षों का अवैध पातन कर दिया गया, और प्रकाष्ठ उपलब्ध नहीं है। कृपया कर संबन्धित के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक :- 24/12/2024

Abhishek Tyagi

प्रार्थी:-

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी - 01 मयूर विहार, आर्यनगर
ज्वालापुर, हरिद्वार।
मो0न0. 9719760801

प्रतिलिपि :- प्रभासिप वन अधिकारी बहादुराबाद
(सहायक को आवश्यक कार्रवाई हेतु)



सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी

हरिद्वार।

विषय:- आगामी हरेला/सीजन में वृक्ष /पौधा रोपण हेतू।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने स्तर से 200 वृक्ष रोपण वन क्षेत्र में करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी द्वारा सारा खर्चा वहन किया जायेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को बहादुराबाद के पास वन क्षेत्र में वृक्ष/पौधा रोपण हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

Abhishek Tyagi
प्रार्थी:-

दिनांक :- 20/01/2025

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी- 01 मयूर विहार, आर्यनगर,
ज्वालापुर, हरिद्वार।
मे0न0. 9719760801

